सं. 1/26/2007-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांकः 9 जनवरी, 2008

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की सहयोग प्राप्ति ।

***

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 26 की उप धारा (1) का खण्ड (क) सूचना के अधिकार का प्रयोग करने के बारे में जनता की समझ विकसित करने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करने तथा ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपता है । यह एक बड़ा कार्य है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल करने की जरूरत है । गैर-सरकारी संगठन लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं तथा उनके बीच जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं । वे जनता के नजदीकी सम्पर्क में आते हैं । वे सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रयोग के बारे में जानकारी का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं । इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आप अपने राज्य में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों का सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भरपूर सहयोग लें ।

भवदीय,

(कृष्ण गोपाल वर्मा)

निदेशक